Volume: 4 Issue: 9 Pages: 49-51

राजनीतिक दलों के बढ़ते हस्तक्षेप से स्थानीय निकायों की स्वायत्तता पर प्रभाव

[*1] नरेश कुमार

[*1] असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय ग्राम हरदोई, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 10/Aug/2025
Accepted: 08/Sep/2025

***Corresponding Author**
नरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय ग्राम हरदोई, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकतंत्र की आधारशिला न केवल संसद या विधानसभाओं तक सीमित है, बल्कि यह ग्राम पंचायत और नगर निकाय से जुडी हुई है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और प्रत्येक नागरिक राजनैतिक निर्णय प्रक्रिया का भागीदार बने। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया था। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर भारत ने विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। जिससे स्थानीय निकाय स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र के विकास और प्रशासन का संचालन कर सकें। परन्तु वास्तविकता यह है कि समय के साथ राजनीतिक दलों का प्रभाव इन स्थानीय संस्थाओं पर बढ़ने लगा है। अब अधिकांश राज्यों में पंचायत और नगर निकाय चुनाव दलीय राजनीति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों की संवैधानिक स्थिति कमजोर हुई है और वे राजनीतिक दलों के दबाव में कार्य करने लगे हैं। जिससे उनकी स्वायतता ख़त्म हो रही है।

मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक सहभागिता, स्थानीय निकाय, दलगत राजनीति।

प्रस्तावना:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **प्राचीन काल:** पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्था रही है। भारत में प्राचीन काल से ही गाँव स्तर पर पंचायतें न्याय और प्रशासन का काम करती थीं। जैसे स्थानीय विवाद, कर संग्रह, कृषि व्यवस्था और सुरक्षा आदि का निर्णय ग्रामसभा करती थी।
- **ब्रिटिश शासन:** ब्रिटिश शासन में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप सीमित और नियंत्रित था। लेकिन 1882 का "रिपन का संकल्प" स्थानीय स्वशासन के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। रिपन को "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। स्थानीय विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, नाली, सड़क निर्माण आदि का दायित्व स्थानीय निकायों को दिया गया।
- **स्वतंत्रता के बाद:** लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और गाँधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को भारतीय लोकतंत्र ने को महत्व दिया। 1952 में गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना शुरू की गई।
- **बलवंतराय मेहता समिति (1957):** इस समिति को राजनैतिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जाँच के लिए गठित किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) का सुझाव दिया।
- **अशोक मेहता समिति (1978):** इसका गठन जनता पार्टी सरकार ने किया था। इस समिति ने पंचायतों को अधिक शक्तिशाली और दो-स्तरीय बनाने की सिफारिश की। तथा पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए।
- **जी. वी. के. राव समिति (1985):** और एल. एम. सिंहवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने पर जोर दिया।
- **73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1992):** ने पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक संस्थान का दर्जा दिया।

प्रारम्भ में संवैधानिक प्रावधान किया गया था कि स्थानीय निकाय गैर-दलीय आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करें और जनता सीधे राजनीतिक सहभागिता करे। संविधान में राजनीतिक दलों की भूमिका का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसीलिए अपेक्षा थी कि ये संस्थाएँ स्वतंत्र और गैर-दलीय रहेंगी। परंतु धीरे-धीरे दलगत राजनीति इसमें प्रवेश करने लगी। और पंचायतों की स्वायतता क्षीण होते दिख रही है।

पंचायतीराज संस्थाओं संवैधानिक स्थिति

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद—

1. एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई तथा ग्राम स्तर में ग्राम सभा की स्थापना की गई।
2. पंचायतों और नगर निकायों की स्पष्ट संरचना बनी। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने व उनके क्रियान्वयन व मूल्यांकन का कार्यभार ग्राम सभाओं को सौंपा
3. संविधान में 11 वीं 12 वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को 29 विषयों और नगर निकायों को 18 विषयों पर अधिकार दिए गए।
4. प्रत्येक पाँच वर्ष पर चुनाव कराना अनिवार्य किया गया। तथा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई।
5. महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
6. पंचायतों की निधियों में सुधार एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन।
7. योजना निर्माण और कार्यान्वयन में ग्राम सभा और वार्ड समितियों को प्रमुख भूमिका दी गई।

राजनीतिक दलों का बढ़ता प्रभाव

समय के साथ अधिकांश राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों को पार्टी सिंबल पर कराना शुरू कर दिया। इससे निम्न प्रभाव सामने आए—

- स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ गई। जिससे सत्ताधारी दल का प्रभुत्व बना रहता है
- स्थानीय उम्मीदवार अब स्वतंत्र न होकर किसी न किसी दल से जुड़कर चुनाव लड़ने लगे। जिससे निर्दलीय उम्मीदवार असहाय महसूस करते है और उनका मनोबल टूटने लगा है
- ग्राम सभा और नगर परिषद के निर्णय पार्टी लाइन पर होने लगे।
- सामुदायिक विकास योजनाएँ और बजट का आवंटन भी राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर होने लगा।
- चुनावों में राजनितिक दल धनबल और बाहुबल का उपयोग भारी मात्रा में करने लगे है जिसका असर गाँवों और कस्बों तक पहुँच गया।

स्वायत्तता पर प्रभाव

राजनीतिक दलों के प्रभाव से स्थानीय निकायों की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ा है—

1. **निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम हुई:** निर्वाचित प्रतिनिधि राजनितिक दल के आदेश के अनुसार काम करते हैं। और स्वतंत्र निर्णय लेने असमर्थ रहते है
2. **स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा:** राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दे प्राथमिकता बन जाते हैं। तथा स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा की जाती है।
3. **भ्रष्टाचार और संसाधनों का दुरुपयोग:** पार्टी फंडिंग और वोट बैंक की राजनीति के लिए संसाधन खर्च किए जाते हैं। जिससे स्थानीय स्तर पर माफिया और बाहुबलियों का राजनीतिकरण होता है और जनता को उचित अवसर की पूर्ति नहीं हो पा रही है
4. **ग्राम सभा और वार्ड सभा कमजोर हुईं:** जनता की सीधी भागीदारी घट गई और राजनितिक दलों के कार्यकर्ताओं प्रभुत्व स्थापित रहता है।
5. **स्थानीय निकाय राजनीतिक सीढ़ी बने:** कई नेता पंचायत/नगर निकाय चुनावों को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश का साधन मानते हैं।

सकारात्मक पक्ष

निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी से कुछ सकारात्मक पहलू भी सामने आए—

1. चुनावों में अधिक प्रतिस्पर्धा आई, जिससे मतदाताओं को विकल्प मिले।
2. दलीय राजनीति के कारण नीतिगत स्पष्टता और सरकार की जवाबदेही बढ़ी।
3. स्थानीय निकाय चुनाव से युवा राजनीतिक नेतृत्व का उदय हुआ। जिसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीति का प्लेटफार्म माना जा रहा है।
4. राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विकास योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन आसान हुआ।

प्रमुख चुनौतियाँ और समस्याएँ

1. **राजनीतिक नियंत्रण:** स्थानीय निकाय स्वतंत्र संस्था न रहकर राज्य सरकार और राजनीतिक दलों की कठपुतली बन गए। निर्वाचित प्रतिनिधि विकास कार्यों को छोड़ कर राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों और प्रचार प्रसार में लगे रहते है।
2. **वित्तीय निर्भरता:** पंचायत और नगर निकाय अपने वित्तीय संसाधन स्वयं नहीं जुटा पाते। बल्कि राज्य सरकार पर निर्भर रहते है जिसके कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ताधारी दल से जुड़ना मजबूरी बन जाती है।
3. **दलगत संघर्ष:** पंचायत या नगर निकायों में दलगत झगड़े से विकास कार्य बाधित होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि यदि सत्तारुण दल से नही है तो उस क्षेत्र को वित्तीय अनुदान नहीं प्राप्त होता है।
4. **आरक्षण में हेरफेर की राजनीति:** स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की सीटें भी दलीय राजनीति के प्रभाव में आने लगी हैं। सत्ताधारी दल के लोग अपने मन मुताविक सीटों का बटवारा कर लेते है।
5. **राजनीतिक सहभागिता घट रही है:** राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से बाहुबलिओं तथा माफियाओं का प्रभुत्व बना रहता है इसलिए ग्राम सभा और नागरिक समाज की सक्रियता कमजोर हो रही है।

समाधान एवं सुझाव

1. पंचायतीराज संस्थाओं को दलीय राजनीति से अलग किया जाये तथा स्थानीय निकाय चुनावों को गैर-दलीय आधार पर प्रोत्साहित किया जाए।
2. ग्राम सभा और वार्ड सभा को वास्तविक वित्तीय अधिकार दिए जाएँ। जिससे वास्तविक स्थानीय विकास को गति मिल सके।
3. वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों को कर लगाने और संसाधन जुटाने की शक्ति मिले।जिससे राज्य सरकार पर निर्भरता कम हो सके।
4. राजनीतिक दलों के प्रभाव को कम करने के लिए सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज को अधिक सक्रिय करना। जिससे लोगों में जागरूकता आ सके।
5. निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता-विकास कार्यक्रम के तहत स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
6. राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अनावश्यक हस्तक्षेप से रोकने के लिए कुछ बाध्यकारी नियम बनाये जाए।

निष्कर्ष:

स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इनका उद्देश्य आम जनता को सीधी राजनितिक भागीदारी का अवसर प्रदान करना और विकास कार्यों को स्थानीय स्तर पर ही संचालित करना है। लेकिन समय के साथ राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव से इनकी स्वायत्तता घट गई है। यदि भारत को वास्तविक विकेंद्रीकृत लोकतंत्र बनाना है तो पंचायतों और नगर निकायों को राजनीतिक दलों के अनुचित प्रभाव से मुक्त कराना होगा। इन्हें केवल राजनीतिक सीढ़ी नहीं बल्कि विकास और जनकल्याण की संस्था के रूप में स्थापित करना होगा। तभी महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य की संकल्पना साकार होगी।

संदर्भ सूची:

1. भारतीय संविधान (73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम)।
2. बलवंतराय मेहता समिति रिपोर्ट (1957)।
3. अशोक मेहता समिति रिपोर्ट (1978)।
4. जी. वी. के. राव समिति रिपोर्ट (1985)।
5. एल. एम. सिंहवी समिति रिपोर्ट (1986)।
6. नीति आयोग की रिपोर्ट (2017)।
7. भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्टें।
8. विभिन्न शोध आलेख एवं समाचार पत्र।